

16-6-20

पतावली पेश इंडीवनीक पक्षा काशन अनुपस्थित।  
बादील बादीककोल प्रतिवादियों व वनीक प्रतिवादियों को  
न्यायालय समक्ष लाने का आदेश दिया गया है।  
मई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए और मा-ही  
प्रमाण अनुसार दिये जाने के प्रतिवादियों को  
तामील हेतु तलबनामा जारी पेश नहीं किया  
गया है।

इतः बादी का वाद हल्व कर दिया गया। आ-दी-  
प्रतिवादियों को बाह्य तामील नरिह स तलबनामा के प्रमाण  
अनुसार दिये जाने पर भी पेश नहीं किया गया है के  
अमान में अन्तर्गत आदेश ०५ निमम ०५ के तहत  
वारीज किया जाता है। पतावली में सली मुमर  
होकर नम्बर से नाम होकर दायित्व दर्शाया है।  
मिनीय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सॉमर लेक

